उक्त अधिनियम की धारा 158बीडी/153सी के अंतर्गत संतुष्टि नोट की रिकॉर्डिंग

परिपत्र संख्या 24/2015 [एफ.सं.279/विविध/140/2015/आईटीजे], दिनांक 31-12-2015

धारा 158खघ/153ग के प्रयोजनों के लिए संतुष्टि दर्ज करने का मुद्दा मुकदमेबाजी का विषय रहा है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कलकत्ता निटवेयर्स के मामले में सिविल अपील संख्या 3958/2014 दिनांक 12-3-2014 [2014] 43 taxmann.com 446 (SC) (एनजेआरएस में 2014-एलएल-0312-51 पर उपलब्ध) में अपने विस्तृत निर्णय में निर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 158खघ के प्रयोजन के लिए, संतुष्टि नोट दर्ज करना एक पूर्वापेक्षा है और संतुष्टि नोट एओ द्वारा दूसरे एओ को रिकॉर्ड प्रेषित करने से पहले तैयार किया जाना चाहिए, जिसके पास धारा 158खघ के तहत ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है। माननीय न्यायालय ने माना कि "संतुष्टि नोट निम्नलिखित में से किसी भी चरण में तैयार किया जा सकता है:

(क) अधिनियम की धारा 153ग के तहत तलाशी लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू होने के समय या उसके साथ; या

(ख) अधिनियम की धारा 158खग के तहत मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान; या

(ग) तलाशी लिए गए व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम की धारा 158खग के तहत मूल्यांकन कार्यवाही पूरी होने के तुरंत बाद।"

3. कई उच्च न्यायालयों ने माना है कि अधिनियम की धारा 153ग के प्रावधान अधिनियम की धारा 158खघ के प्रावधानों के काफी हद तक समान/समान हैं और इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त दिशानिर्देश, तलाशी लिए गए व्यक्ति के अलावा अन्य की आय के आकलन के प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 153ग के तहत कार्यवाही पर लागू होते हैं। इस दृष्टिकोण को सीबीडीटी ने स्वीकार कर लिया है।

4. संतुष्टि नोट दर्ज करने के संबंध में, जैसा कि ऊपर पैरा 2 में संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी के ध्यान में लाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि तलाशी लिए गए व्यक्ति और "अन्य व्यक्ति" का एओ एक ही है, तब भी उसे न्यायालयों द्वारा निर्धारित अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी।

5. उपरोक्त के मद्देनजर, संतुष्टि नोट दर्ज करने के मुद्दे पर अपील दायर करने का निर्णय भी उपरोक्त निर्णय के आलोक में किया जाना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि धारा 158खघ

/153ग के अंतर्गत संतुष्टि नोट दर्ज करने के संबंध में लंबित मुकदमे को वापस ले लिया जाए/उस पर दबाव न डाला जाए, यदि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है।